| | |
|---|---|
| 01-07-22 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थीगण की ओर से श्री महेश सांखला Adv. हाजा दावे में वकालतनामा पेश किया गया। प्रार्थीगण की ओर से बहस हेतु अवसर चाहा। अप्रार्थीगण की ओर से बहस हेतु [illegible] किया। प्रार्थीगण |

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:28:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| | ने निवेदन किया है कि शेष अप्रार्थीगण की तामील नहीं हुई। अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थीगण द्वारा केवल अप्रार्थी नं. 1 के विरुद्ध ही अनुतोष चाहा है इसलिए शेष अप्रार्थीगण की तामीलों की आवश्यकता नहीं है।<br>पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा केवल अप्रार्थी नं. 1 के विरुद्ध अनुतोष चाहा है इसलिए शेष प्रतिवादी तामील की आवश्यकता नहीं है। शेष तामील रद्द जाती है।<br>बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के [illegible] आवश्यक [illegible] पर गौर किया जाए उस पर [illegible] निस्तारण किया जाना आवश्यक | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:28:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं
जिला झुंझुनूं (राज.)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | है। विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।<br>अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मौका निरीक्षण किया गया।<br>अभिभाषक आवेदकगण की बहस रही कि – ख.नं. 345, 344, 347 में अनावेदकगण द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया जाता रहा है। जबकि विवादित भूमि का विधिवत रूप बटवारा नहीं हुआ। तथा बिना बटवारा के अवैध निर्माण कार्य नहीं करवा सकते है। इस सम्बन्ध तहसीलदार कुक्षी द्वारा भी अनावेदक क्र. 1 को पाबन्द किया गया किन्तु अनावेदक क्र. 1 द्वारा पुनः निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। अतः अनावेदक क्र. 1 को नाजायज अवैध निर्माण नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे।<br>अभिभाषक अनावेदकगण की बहस रही कि – विवादित भूमि का मौके पर आपसी बटवारा | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:28:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व

अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

कर रखा है। सभी पक्षकार अपनी अपनी भूमि पर अलग-अलग मकान भी बना रखे है। ख०नं. 345 में अप्रार्थी सं. 1 के 30-40 वर्ष पुराने मकान बने हुये है। ख०नं-346 में प्रार्थी सं. 1 ने मकान बना रखे है। ख०नं. 345 बाहमी बंटवारा होने पर अप्रार्थी सं. 1 के मकान में आया इसलिये अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज आन्वार्ड किये जाकर फरमाया जावे।

प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष पाया जाता है मौके निरीक्षण के अनुसार ख०नं. 345 में अप्रार्थी सं. 1 ने करीब 30-40 वर्षो से मकान बनाकर आबाद है। अप्रार्थी सं. स्वयं के हिस्से भूमि पर ही पुराने मकानों के पर निर्माण कर रहा है। जिसके पर निर्माण कर रहा है। [illegible] सरकारी अधिकारी है। [illegible] अधिनियम [illegible] एक खातेदार [illegible] मार रखवाल बनाकर 2xx का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:28:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
[illegible] (राज.)

अधिकारी होता है। जो गुहाना की परिधि में आता है। तब अप्रार्थीगण अपने मकानों की पुराना। समायत हेतु निर्माण कर रहा था उसी समय प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध आपत्ति लिखकर जारी करवा दी गई। जिसके कारण अप्रार्थी सं. 1 का निर्माण कार्य बन्द हो गया। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 अपने रहवास मकानों को सुव्यवस्थित करने हेतु निर्माण करना चाहता है इसलिए विधि व सुव्यवस्थित ढंग में हर व्यक्ति अपने सुरक्षा प्रबन्ध करना चाहता है। अप्रार्थीगण अपने 30-40 वर्ष पुराने मकानों में ही निर्माण करना चाहते हैं।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व उभय पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि [illegible] के अप्रार्थी सं. 1, 10, 11 [illegible] करीब 30-40 वर्ष [illegible] मकान बनाकर आबाद है। रहवासीय मकानों उनके स्थिति के बाद रूकि कर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:28:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी गुहाना

जारी हुए

अप्रार्थीगण संख्या 1 स्वयं के
हिस्से में आई भूमि ख०नं० 345
पर शांतिपूर्वक मकान बनाकर
आबाद है तथा ख०नं० 345
खातेदारी कब्जे में अप्रार्थी
सं. 1 के हिस्से में आई हुई
है ~~उसी~~ उसी में ही निर्माण
करवाया है। राजस्थान काश्त
कारी अधिनियम के प्रावधानों के
तहत एक खातेदार उसी की खातेदारी
भूमि पर रहवास/मकान बनाकर
रहने का अधिकारी होता है और
सुधार की श्रेणी में आता है।
इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा
के लिए आवश्यक तीनों ही बिन्दुओं
को ध्यान में रखते हुए ख०नं०
345 में निर्माण करने की अनुमति
प्रदान की जाती है। अप्रार्थी सं. 1
को ख०नं० 345 में निर्माण
करने हेतु [illegible] दी जाती है
कि वह [illegible] ख०नं० 345 अनुमति
में ही निर्माण [illegible]
दी जाती है। ख०नं० 344 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:28:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हुए |
|---|---|---|
| | 347 में किसी प्रकार का निर्माण मार्ग नहीं करे तथा ख0नं. 344 व 347 में किसी प्रकार कब्जा या निर्माण नहीं करे ख0नं. 344 की सीमा में एक कोने पर भी निर्माण नहीं करें।<br>अप्रार्थी सं. 1 को ख0नं. 345 में निर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। शेष आदेश दिनांक 16-5-22 यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार नत्थी होकर [illegible] मूल वाद के साथ संलग्न रहे।<br>(सुनील कुमार चौहान)<br>उपखण्ड अधिकारी [illegible]<br>जिला झुन्झुनूं (राज.) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:28:03 IST
Reason: SelfAttested